न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–76/2020 — दायर दिनांकः 17.07.2020

RCMS NO:- 2020/00140

पीठासीन अधिकारी :– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

1. निजामुद्दीन आत्मज नसरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी देई तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।
2. समीम बानों पुत्री नसरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी देई पत्नी सद्दीक जाति मुसलमान निवासी कोटा जिला कोटा (राज.)
3. खातुन पत्नी स्व0 श्री नसरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,126 आर.एल.आर. एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामबाबू शर्मा।
अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 03.11.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम देई तहसील नैनवां में खाता संख्या नई 1580 व पुरानी 1559 की खसरा संख्या 91/4396 रकबा 4 बीघा भूमि प्रार्थीगण के खातेदरी में स्थित है, तथा खाता संख्या नई 484 व पुरानी 486 की खसरा संख्या 98/4398 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 98/4417 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 4396/4597 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि उक्त वर्णित भूमि के बारे में आस पडोस के व्यक्ति भूमि की सीमाओं के बारे में विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि की श्रीमान के न्यायालय द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी आदि पेश किये ।

अप्रार्थी तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार रिकोर्ड जमाबन्दी देई सं0 2076–79 के खाता संख्या 1623 के ख0 न0 91/4396 रकबा 0.6472 निजामुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन, सलील बानों पुत्री नसरूद्दीन, खातून पत्नि नसरूद्दीन जाति मूसलमान फकीर सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी वह पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी का उक्त खसरा नं0 पर प्रार्थीगण का कब्जा नही है। यह कि ख0सं0 98/4417, 98/4398, 4396/4597 किता 3 रकबा 1.3672 है0 भूमि निजामुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन, सलील बानों पुत्री नसरूद्दीन, खातून पत्नि नसरूद्दीन, इसाक मो0 शफी मो0, शहाबूद्दीन पुत्र खाजू शाह, प्रसन्न पत्नि खाजू शाह जाति मुस0 सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इन खं0 नं0 पर प्रार्थी का कब्जा है। यह कि अन्य वाद न्यायालय में जैरकार नहीं है और कोई स्थगन नहीं है।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदान नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमियों के खातेदार है एवं खसरा संख्या 91/4396 के अलावा मौके पर कब्जा काश्त है। उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में किसी प्रकार का स्थगन नहीं है। प्रार्थीगण को उनके खातेदारी की उक्त वर्णित भूमियों पर नियमानुसार पत्थरगढी करवाये जाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन खसरा संख्या 91/4396 पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम देई तहसील नैनवां में खाता संख्या नई 484 व पुरानी 486 की खसरा संख्या 98/4398 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 98/4417 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 4396/[illegible] रकबा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर तहसीलदार नैनवां [illegible] नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्य[illegible] तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते [illegible]

निर्णय आज दिनांक 03.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.04.10 16:57:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉं (बून्दी)